

**न्यायालय:-श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)**

कमांक ०२/2026

रतलाम, दिनांक-10.01.2026

**रतलाम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक
प्रकरणों से संबंधित
कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026**

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.) के आदेशानुसार मैं, सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.) बी.एन.एस.एस. की धारा 12(1) एवं 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिला में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त कर नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूँ जो, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम, (म.प्र.) के अनुमोदन पश्चात से प्रभावशील रहेगा:-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा।
1	श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम	1. संपूर्ण जिला रतलाम 2. आरक्षीकेन्द्र:- (क) स्टेशन रोड रतलाम (ख)आबकारी वृत्त "अ" के समस्त प्रकरण। 3. संपूर्ण तहसील रतलाम	1- सभी आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित आपराधिक मामलों की खारिजी (ई.आर.)। (1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र एवं खात्मा (एफ.आर.) (संबंधित आरक्षीकेन्द्र से उद्भूत परिवाद पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय, नगर पालिका निगम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां जो कि अन्यत्र कार्य विभाजन पत्र में वर्णित नहीं हैं। (3) आबकारी वृत्त "अ" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के मामले। (4) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन (सरफेसी अधिनियम) दिनांक 01 जनवरी 2026 से दिनांक 30 जून 2026 तक इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (5) रुपये 50,00,001/- से अधिक रुपये पचास लाख एक से अधिक रुपये के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले। (1) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, कंपनी अधिनियम के मामले।

अ.प्र.मो.दि.न

Principal District & Session Judge
Ratlam (M.P.)

			(2) दुकान संस्थान एवं नाप तौल अधिनियम के मामले। (3) भारतीय वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले।
	4. पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय राजस्व जिला रतलाम, मंदसौर एवं नीमच	ऐसे आर्थिक अपराध वाले मामले जो निम्न अधिनियम से संबंधित हों :- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, (2) विदेशी व्यापार अधिनियम, (3) कंपनी अधिनियम, (4) धनकर अधिनियम, (5) दानकर अधिनियम, (6) आयकर अधिनियम, (7) सीमा शुल्क अधिनियम, (8) निर्यात अधिनियम, (9) कंपनी अतिकर अधिनियम, (10) एकाधिकार एवं अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम, (11) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (12) ऐसे समस्त प्रकरण जिनके संबंध में कार्य विभाजन में कोई व्यवस्था नहीं की गयी।	
2	श्री अतुल यादव, (स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. शासकीय रेल्वे पुलिस थाना रतलाम 2. शासकीय रेल्वे सुरक्षा बल थाना, रतलाम	(1) भारतीय रेल्वे अधिनियम, 1980 तथा रेल्वे संपत्ति विधि विरोध कब्जा। (2) अधिनियम, 1956 के अधिनियम माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की अधिसूचना 12668/ तीन-6-30 दिनांक 20.9.1974 द्वारा विशिष्ट रेल्वे दण्डाधिकारी को सौंपे गये अधिकार स्तंभ में अंकित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों के अभियोग पत्र एवं समस्त प्रकरण तथा खात्मा प्रकरण। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
3	श्रीमती सपना शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. महिला थाना 2. आबकारी वृत्त "ब" के समस्त प्रकरण।	(1) <u>थाना स्टेशन रोड, माणक चौक, औद्योगिक क्षेत्र, महिला थाना, दीनदयान नगर, बिलपांक, नामली, जी.आर.पी. व रतलाम शहर से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।</u> (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 15,00,001/- से 20,00,000/- रुपये पंद्रह लाख एक से बीस लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

			(5) आबकारी वृत्त "ब" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले। (6) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन (सरफेसी अधिनियम) दिनांक 01 जुलाई 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
4	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम 2. आबकारी वृत्त "स" के समस्त प्रकरण।	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, द. प्र.सं. की धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आबकारी वृत्त "स" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले। (4) रुपये 25,00,001/- से 50,00,000/- रुपये पच्चीस लाख एक से पचास लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (5) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
5	श्री अनुपम तिवारी, ग्राम न्यायाधिकारी, रतलाम	ग्राम न्यायालय	(1) तहसील रतलाम के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
6	श्रीमती मुग्धा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	संपूर्ण रतलाम क्षेत्र किशोर न्याय बोर्ड	किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला रतलाम के समस्त आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र।
7	सुश्री सपना कनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षी केन्द्र:- 1. नामली	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 20,00,001/- से 25,00,000/- रुपये बीस लाख एक से पच्चीस लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

8	श्री जितेन्द्र रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. डी.डी.नगर 2. आबकारी वृत्त "परगना" के समस्त प्रकरण।	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आबकारी वृत्त "परगना" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले। (4) रुपये 9,00,001/- से 15,00,000/- रुपये नौ लाख एक से पंद्रह लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (5) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
9	श्रीमती रवीना चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
10	श्रीमती आकांक्षा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. यातायात एवं क्षेत्रीय परिवहन	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, द. प्र.सं. की धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र (जिसमें वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (3) रुपये 5,00,001/- से 6,00,000/- रुपये पांच लाख एक से छः लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे। (5) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
11	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. बिलपांक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र(जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 4,00,001/- से 5,00,000/- रुपये चार लाख एक से पांच लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत

			अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
12	श्री अरूण सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. माणक चौक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) <u>नगर पालिक निगम से संबंधित मामले।</u> (5) रुपये 50,001/- से 1,00,000/- रुपये पचास हजार एक से एक लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
13	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 7,00,001/- से 8,00,000/- रुपये सात लाख एक से आठ लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) <u>आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उत्पन्न होने वाले पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टिंग एक्ट 2007 से संबंधित मामले।</u> (4) आरक्षी केन्द्र डी.डी. नगर, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
14	सुश्री आकांक्षा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 8,00,001/- से 9,00,000/- रुपये आठ लाख एक से नौ लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) <u>आरक्षी केन्द्र माणक चौक से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।</u>
15	श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) <u>आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।</u> (3) रुपये 1,00,001/- से 2,00,000/- रुपये एक लाख एक से दो लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) <u>आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उद्भूत समस्त</u>

			परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
16	सुश्री प्रगति आसाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 3,00,001/- से 4,00,000/- रुपये तीन लाख एक से चार लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र नामली, जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण। (4) आरक्षी नामली जिला रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
17	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम		(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 2,00,001/- से 3,00,000/- रुपये दो लाख एक से तीन लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र माणक चौक, जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण। (4) आरक्षी केन्द्र बिलपांक से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
18	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 6,00,001/- से 7,00,000/- रुपये छः लाख एक से सात लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र डी.डी. नगर जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
19	सुश्री रूपाली बिरला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 1 से 50,000/- रुपये एक से पचास हजार रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र बिलपांक जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
20	श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. औद्योगिक क्षेत्र जावरा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा की 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये

			जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) तहसील जावरा के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) वन अधिनियम एवं खनन खनन अधिनियम के मामले। (6) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)।
21	श्री नानसिंह ताहेड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	ग्राम न्यायालय	(1) राजस्व तहसील जावरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
22	श्री अरूण सिंह अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. जावरा शहर 2. आबकारी वृत्त तहसील जावरा (50 बल्क लीटर से अधिक एवं 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण)	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (5) आबकारी वृत्त तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर व उससे अधिक शराब के मामले तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।
23	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	-	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
24	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. बडावदा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

25	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. पिपलौदा 2. कालूखेडा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
26	सुश्री नेहा सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. रिंगनोद 2. आबकारी वृत्त तहसील जावरा के 50 बल्क लीटर से कम आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) आबकारी वृत्त तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले (धारा 49-ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)।
27	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. महिला थाना (तहसील जावरा से संबंधित उत्पन्न समस्त महिलाओं के विरुद्ध अपराध)	(1) तहसील जावरा के समस्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र रिंगनोद से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
28	श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र:- 1. बाजना	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत

	प्रथम श्रेणी, सैलाना	2. महिला थाना	प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) तहसील सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर)। (3) तहसील सैलाना के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (4) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
29	श्री मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षी केन्द्र:- 1. शिवगढ़ 2. सैलाना 3. <u>आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण</u>	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) <u>आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</u> (4) तहसील न्यायालय सैलाना से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
30	सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षीकेन्द्र:- 1. सरवन 2. रावटी 3. <u>आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर से कम आबकारी अधिनियम के</u>	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)।

		प्रकरण (50 बल्क लीटर से कम)	(4) आबकारी वृत्त तहसील सैलाना से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले (धारा 49-ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)। (5) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
31	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्र:- 1. महिला थाना	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) थाना आलोट, ताल, बरखेड़ा से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर)। (3) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (4) तहसील आलोट एवं तहसील ताल से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय, समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
32	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्र:- 1. आलोट 2. बरखेड़ा 3. आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल (50 बल्क लीटर से अधिक एवं कम)। तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) तहसील आलोट क्षेत्र के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले। (3) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (4) तहसील आलोट के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (6) आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण। (7) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय, समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
33	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र:- 1. ताल	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत

प्रथम श्रेणी, आलोट	प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
--------------------	--

नोट :-

1. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने पर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को संदर्भित किया जावे।
2. इस कार्य विभाजन आदेश के पूर्व लंबित आपराधिक प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
3. किसी न्यायालय के अत्यावश्यक आपराधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल माने जावेंगे:- रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी, वाहन सुपुर्दगी आवेदन पत्र धारा 451-457 द.प्र.सं. / धारा 497, 503 बी.एन.एस.एस. का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रक्रिया का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रक्रिया से विचारणीय नये अभियोग पत्र जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, उन प्रकरणों का पंजीयन एवं निराकरण करना।
4. प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष (स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, बाल न्यायालय व ग्राम न्यायालय के मामलों को छोड़कर) स्वीकारोक्ति की समरी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा तथा ऐसा माना जायेगा कि समरी उनके क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत हुई है।
5. दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश सामान्य आदेश है जिसके पूरे सत्र खण्ड के कोई भी दाण्डिक मामले या कार्यवाही का संज्ञान लेने के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां समाप्त नहीं होती। विशेष परिस्थितियों में वे पूरे सत्र खण्ड के किसी मामले या कार्यवाही को सीधे ग्रहण कर सकते हैं।
6. तहसील न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यथा संभव अपने क्षेत्राधिकार के भीतर चलित न्यायालय का संपादन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से आदेश लेकर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को पूर्व सूचना देकर कर सकेंगे तथा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार भी चलित न्यायालय, न्यायालयीन समय प्रभावित किये बिना संचालित किया जा सकेगा।
7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुनवाई/क्षेत्राधिकार के मामलों में यह कार्य विभाजन पत्र प्रभावी नहीं होगा।
8. इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत जिन मजिस्ट्रेट के नए थाना/क्षेत्राधिकार आवंटित किये गये हैं, उन थानों से संबंधित लंबित रिमांड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्रेषित किये जावें।
9. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक अधिकारी के द्वारा जारी स्थाई वारंट उन्हीं न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किये जावेंगे।
10. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारंट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम

को छोड़कर, संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित किया जावेगा।

11. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से संबंधित उपरोक्त कार्यवाहियां (खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम तथा धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों को भी शामिल करते हुये) जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

12. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी, कमशः तहसील जावरा/सैलाना/आलोट के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन अधिकारी के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण या अन्य समस्त कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले कमशः न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी जावरा/सैलाना/आलोट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

13. आरक्षीकेन्द्र ए.जे.के. से संबंधित रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालयों को छोड़कर) की समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी एवं अन्य जे.एम.एफ.सी. न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

14. धारा 125 (3) द.प्र.सं. (भरण पोषण से संबंधित) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण/आवेदन/कार्यवाहियां रतलाम शहर तहसील के ग्राम/क्षेत्र-संलग्न सूची क्रमांक 01, रतलाम ग्रामीण तहसील के ग्राम/क्षेत्र-संलग्न सूची क्रमांक 2 एवं नगर निगम, रतलाम की सीमाओं के क्षेत्राधिकार को छोड़कर शेष ग्राम/क्षेत्र संबंधित आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी तथा आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम की उक्त कार्यवाहियां सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

15. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय के द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

16. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक/1295/सीजे-11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रकरण को धारा 364 बी.एन.एस.एस. (धारा 325 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।

18. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाए गए प्रभार सूची अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

19. कार्यविभाजन आदेश के पूर्व से न्यायालयों में महिलाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों से संबंधित अंतरिम वसूली आवेदन मूल प्रकरण के साथ संबंधित न्यायालय में ही पेश किये जायेंगे।

20. धारा 52-क एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही के संबंध में प्रत्येक माह के किसी भी शनिवार को निम्न लिखित मजिस्ट्रेट न्यायालय में उक्त कार्यवाही करेंगे:-

रतलाम:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	सुश्री आकांक्षा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	फरवरी 2026
2	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जनवरी 2026
3	श्री अरूण ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	मार्च 2026
4	सुश्री आकांक्षा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अप्रैल, नवम्बर 2026
5	श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	मई, दिसम्बर 2026
6	सुश्री प्रगति आसाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जून 2026
7	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जुलाई, अक्टूबर 2026
8	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अगस्त 2026
9	सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	सितम्बर 2026

जावरा:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	जनवरी, मई, सितम्बर, 2026
2	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	फरवरी, जून, अक्टूबर 2026
3	सुश्री नेहा सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	मार्च, जुलाई, नवम्बर 2026
4	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	अप्रैल, अगस्त दिसम्बर 2026

सैलाना:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	फरवरी, मई, अगस्त, नवम्बर 2026
2	श्री मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	मार्च, जून, सितम्बर, दिसम्बर 2026
3	सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 2026

आलोट:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 2026

2	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	फरवरी, मई, अगस्त, नवम्बर 2026
3	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	मार्च, जून, सितम्बर, दिसम्बर 2026

21. यदि कोई मजिस्ट्रेटगण दिये गये उपरोक्त सूची अनुसार माह में उक्त दिन को अवकाश में रहते हैं तो उनका कार्य प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। इसके साथ ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण उन्हीं के द्वारा किया जावेगा।

22. सभी आरक्षीकेन्द्रों के मजिस्ट्रेट ट्रायल एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में एन.डी.पी.एस. से संबंधित मुद्देमाल का नष्टीकरण संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

23. जिला मुख्यालय रतलाम पर आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच निम्नानुसार की जावेगी:-

कं.	आरक्षीकेन्द्र	वरिष्ठ मजिस्ट्रेटगण
1	आरक्षीकेन्द्र नामली एवं बिलपांक	श्रीमती सपना शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला रतलाम
2	आरक्षीकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र एवं डी.डी. नगर	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम
3	आरक्षीकेन्द्र महिला थाना, ए.जे.के. एवं जी. आर.पी. / आर.पी.एफ	सुश्री सपना कनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम
4	आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम एवं माणक चौक	श्री जितेन्द्र रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम

नोट :-

अ- मृत्यु जांच/न्यायिक जांच हेतु उपरोक्त दिये गये वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ एक कनिष्ठ मजिस्ट्रेट कमानुसार 1. सुश्री आकांक्षा गुप्ता, 2. श्री अतुल श्रीवास्तव, 3. श्री अरुण ठाकुर, 4. सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, 5. सुश्री अकांक्षा, 6. श्री प्रवेश काबरा, 7. सुश्री प्रगति असाटी, 8. श्री मंगल परमार, 9. सुश्री वैशाली चौहान, 10. सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, रतलाम आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

ब- उपरोक्त तालिका में दिये गये आरक्षीकेन्द्रों की मृत्यु जांच/न्यायिक जांच एक से अधिक बार प्रस्तुत होने पर उक्त जांच कॉलम नं. 03 में कमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण के द्वारा की जावेगी।

स- मृत्यु जांच/न्यायिक जांच में यदि किसी कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा माह में एक बार मृत्यु जांच/न्यायिक जांच में उपस्थित हुये हैं तो उसके पश्चात अगले कम में जो भी कनिष्ठ मजिस्ट्रेट है, वह उक्त जांच में सम्मिलित होंगे।

द- उपरोक्त तालिका में कोई वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उपरोक्त कॉलम नं. 03 में कमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण मृत्यु जांच/न्यायिक जांच करेंगे एवं कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में कं. "अ" में दिये

कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के अगले कम पर दिये मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेंगे।

य- उपरोक्त तालिका में दिये गये आरक्षीकेन्द्रों के अतिरिक्त जिला जेल, रतलाम में निरुद्ध अन्य स्थानों के सजायापता/विचाराधीन बंदी की मृत्यु जांच/न्यायिक जांच कॉलम नं. 03 में क्रमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण के द्वारा की जावेगी।


10.1.2026
(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम (म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026

अनुसूची क्रमांक - 01

उपरोक्त आदेश के अंतर्गत अवकाश के दिनों में या संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर शीघ्रतर कार्य के लिये सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट का अवकाश कार्य कॉलम नंबर 2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास तथा उनके अवकाश में रहने पर कॉलम नंबर 3 में, उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 4 में तथा उनके अवकाश में रहने पर कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तदनुसार व शीघ्रतर कार्य संपन्न करेंगे। रतलाम मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में अवकाश के दिनों में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण के शीघ्रतर प्रकृति के कार्य उस दिन रिमांड ड्यूटी में उपस्थित मजिस्ट्रेट कर सकेंगे।

1	2	3	4	5
श्रीमती सपना भारती कतरौलिया	श्रीमती सपना शर्मा	श्री अनुपम तिवारी	श्री जितेन्द्र रावत	श्री अतुल श्रीवास्तव
श्रीमती सपना शर्मा	श्री अनुपम तिवारी	श्री जितेन्द्र रावत	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री अरुण ठाकुर
श्री अतुल यादव	श्री जितेन्द्र रावत	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री अरुण ठाकुर	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
श्री अनुपम तिवारी	श्री अरुण ठाकुर	श्रीमती सपना शर्मा	श्री मंगल परमार	श्री प्रवेश काबरा
श्रीमती सपना कनोडिया	श्री मंगल परमार	श्री प्रवेश काबरा	सुश्री आकांक्षा	सुश्री प्रगति आसाटी
श्री जितेन्द्र रावत	श्रीमती सपना कनोडिया	सुश्री रूपाली बिरला	सुश्री वैशाली चौहान	श्री प्रवेश काबरा
श्रीमती रवीना चौधरी	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री अरुण ठाकुर	श्रीमती सपना कनोडिया	सुश्री रूपाली बिरला
सुश्री आकांक्षा गुप्ता	श्री मंगल परमार	श्री प्रवेश काबरा	सुश्री आकांक्षा	सुश्री रूपाली बिरला
श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री प्रवेश काबरा	श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला
श्री अरुण ठाकुर	श्री मंगल परमार	श्री अतुल श्रीवास्तव	सुश्री प्रगति आसाटी	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	सुश्री प्रगति आसाटी	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री आकांक्षा गुप्ता	श्रीमती रवीना चौधरी
सुश्री आकांक्षा	श्रीमती रवीना चौधरी	सुश्री रूपाली बिरला	श्री अरुण ठाकुर	सुश्री प्रगति आसाटी
श्री प्रवेश काबरा	श्री मंगल परमार	सुश्री आकांक्षा गुप्ता	सुश्री रूपाली बिरला	श्रीमती रवीना चौधरी
सुश्री प्रगति आसाटी	श्रीमती सपना कनोडिया	श्री अतुल श्रीवास्तव	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार
श्री मंगल परमार	श्री जितेन्द्र रावत	सुश्री प्रगति आसाटी	सुश्री रूपाली बिरला	श्री प्रवेश काबरा

सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	श्री अतुल श्रीवास्तव	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार
सुश्री रूपाली बिरला	सुश्री आकांक्षा	सुश्री प्रगति आसाटी	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	श्रीमती रवीना चौधरी
तहसील जावरा				
श्री नानसिंह ताहेड़	श्री अरुण सिंह अलावा	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	श्री दीपक कनेरिया	सुश्री नेहा सिंह परिहार
श्री अरुण सिंह अलावा	श्री नानसिंह ताहेड़	श्री दीपक कनेरिया	श्री अंकित भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर
श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर	सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री अरुण सिंह अलावा	श्री नानसिंह ताहेड़
श्री अंकित भुजंग	सुश्री नेहा सिंह परिहार	सुश्री शिवानी राठौर	श्री नानसिंह ताहेड़	श्री अरुण सिंह अलावा
श्री दीपक कनेरिया	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर	सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री अंकित भुजंग
सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री अंकित भुजंग	श्री दीपक कनेरिया	श्री अरुण सिंह अलावा	सुश्री शिवानी राठौर
सुश्री शिवानी राठौर	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री अंकित भुजंग	श्री दीपक कनेरिया
तहसील आलोट				
श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी	श्री गवेन्द्र सिसोदिया	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्री दीपक कनेरिया	सुश्री नेहा सिंह परिहार
श्री गवेन्द्र सिसोदिया	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्री दीपक कनेरिया	सुश्री नेहा सिंह परिहार	सुश्री शिवानी राठौर
श्रीमती समीक्षा सिंह	श्री गवेन्द्र सिसोदिया	सुश्री नेहा सिंह परिहार	श्री दीपक कनेरिया	श्री अंकित भुजंग
तहसील सैलाना				
श्रीमती गार्गी शर्मा	सुश्री नेहा सावनेर	श्री मोहित परसाई	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	सुश्री रूपाली बिरला
श्री मोहित परसाई	श्रीमती गार्गी शर्मा	सुश्री नेहा सावनेर	श्री अतुल श्रीवास्तव	सुश्री वैशाली चौहान
सुश्री नेहा सावनेर	श्री मोहित परसाई	श्रीमती गार्गी शर्मा	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार

नोट :-

1. जावरा/सैलाना/आलोट में कार्यरत मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक साथ मुख्यालय से बाहर बिना पूर्वानुमति के नहीं जाएंगे।
2. मजिस्ट्रेटगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व लिखित रूप से

(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम (म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026

अनुसूची कमांक-2

धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लिपिबद्ध किये जाने हेतु

कं.	क्षेत्राधिकार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम प्रथम प्रभार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम द्वितीय प्रभार
1	आरक्षीकेन्द्र माणक चौक	सुश्री प्रगति आसाटी	सुश्री आकांक्षा
2	आरक्षीकेन्द्र बिलपांक	सुश्री आकांक्षा	सुश्री प्रगति आसाटी
3	आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड़ रतलाम	सुश्री रूपाली विरला	सुश्री आकांक्षा गुप्ता
4	आरक्षीकेन्द्र नामली	सुश्री आकांक्षा गुप्ता	सुश्री रूपाली विरला
5	आरक्षीकेन्द्र ए.जे.के., डी.डी. नगर	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	सुश्री वैशाली चौहान
6	आरक्षीकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
7	आरक्षीकेन्द्र महिला थाना, जी.आर.पी.,आर.पी.एफ. रतलाम	सुश्री सपना कनोडिया	सुश्री आकांक्षा गुप्ता
तहसील जावरा			
1	आरक्षीकेन्द्र जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा	सुश्री नेहा सिंह परिहार	सुश्री शिवानी राठौर (महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
2	आरक्षीकेन्द्र पिपलौदा, कालूखेड़ा	श्री अंकित भुजंग	सुश्री नेहा सिंह परिहार
3	आरक्षीकेन्द्र रिंगनोद, बड़ावदा	श्री दीपक कनेरिया	श्री अंकित भुजंग (आरक्षीकेन्द्र बड़ावदा के जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
तहसील आलोट			
1	आरक्षीकेन्द्र आलोट, बरखेड़ा	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी (आरक्षीकेन्द्र आलोट, बरखेड़ा के महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
2	आरक्षीकेन्द्र ताल	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी (आरक्षीकेन्द्र ताल के महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)	श्री गवेन्द्र सिसोदिया

पृष्ठांकन कं.../००/स्टेनो/28
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक 12.01.2026

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश महोदय एवं समस्त श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण महोदय, रतलाम/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण रतलाम/सैलाना/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, रतलाम की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारीगण रतलाम/सैलाना/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. सांख्यिकी विभाग, जिला न्यायालय, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय, रतलाम की ओर संबंधित को ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु पालनार्थ।


(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रतलाम